न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 72/2024 निर्णय दिनांकः 16.05.2025
ऑनलाईन नम्बर 2024/135
रूघाराम पुत्र मामराज जाति बावरी निवासी बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रार्थी—

बनाम

1. मामराज पुत्र मनीराम जाति बावरी निवासी बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—अप्रार्थीगण—

1. श्री बाबूलाल दर्जी अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री साजिद खान अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 की ओर
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के दादा स्व. मनीराम पुत्र चुनाराम जाति बावरी निवासी बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 215 तादादी 6.2900 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 861 तादादी 3.2400 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 862 तादादी 7.400 हैक्टेयर रोही मौजा बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित हैं। प्रार्थी के दादा मनीराम की मृत्यु के बाद वादगत खेतो की खातेदारी का विरास्तन इंतकाल संख्या 312 दिनांक 20.05.2010 को अप्रार्थी संख्या 1 व मघाराम पुत्र मनीराम बावरी के नाम से बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज हो गया । अप्रार्थी संख्या 1 व मघाराम के मध्य वादगत खेतो का विभाजन इंतकाल संख्या 433 दिनांक 26.11.2010 को हुआ, विभाजन में अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 1506/215 तादादी 3.1500 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 1508/861 तादादी 1.6200 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 1510/862 तादादी 3.700 हैक्टेयर वाकेरोही बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर दर्ज हुये। वादगत खेत खसरा नम्बर 1506/215 तादादी 3.1500 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 1508/861 तादादी 1.6200 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 1510/862 तादादी 3.700 हैक्टेयर वाकेरोही बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है, जो प्रार्थी के पैतृक खातेदारी के खेत हैं। वादगत खेतो में प्रार्थी का जन्म से ही हक व हिस्सा निहित चला आ रहा हैं । प्रार्थी वादगत खेतो में अपने कानूनी हिस्सा को कब्जा, काश्त उपयोग व उपभोग में लेता चला आ रहा हैं। प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 काफी वृद्ध व्यक्ति है, अप्रार्थी संख्या 1 पुत्र रूपाराम के साथ रहते है। प्रार्थी की बहिने सुन्दरदेवी, पानी, लिछमा की शादियां हो चुकी है, जो अपने—अपने ससुराल में रहती हैं। वादगत खेतो में प्रार्थी का 1/6 हिस्सा कानूनन बनता हैं। चूंकि प्रार्थी की बहिने सुन्दरदेवी, पानी, लिछमा वादगत खेतो को काश्त नही करती हैं, प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 काफी वृद्ध व्यक्ति है, इसलिए प्रार्थी वादगत खेतो को अपने हक हिस्सा के रूप में कब्जा, काश्त व उपयोग एवं उपभोग में लेता चला आ रहा हैं। खेत खसरा नम्बर 1510/862 तादादी 3.700 हैक्टेयर में काफ़ बना हुआ है। वादगत खेतो की खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.06.20 11:46:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

अप्रार्थी संख्या 1 के नाम होने के कारण कृषि ट्यूब वैल का विद्युत बिल भी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से आता हैं। वादगत खेतो की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से चली आ रही हैं। वादगत खेतो में प्रार्थी का पैतृक 1/6 हिस्सा कानूनन बनता हैं। प्रार्थी स्व. मनीराम का पौत्र है, प्रार्थी को अपने कानूनी हिस्सा की घोषणा करवाने का अधिकार निहित हैं। अप्रार्थी संख्या 1 राजूराम के साथ रहता है। अप्रार्थी संख्या 1 वृद्व होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 सोचने, समझने की शक्ति क्षिण हो चुकी हैं। रूपाराम ने वादगत खेतो पर प्रतिवादी संख्या 1 हस्ताक्षर/अंगूठे करवाकर एक्सीस बैंक शाखा श्रीडूंगरगढ़ के यहां से ऋण लेकर वादगत खेतो को रहन कर रखा है तथा ऋण की राशि राजूराम हड़प कर चुका हैं। राजूराम, अप्रार्थी संख्या 1 को अपने प्रभाव में ले रखा है तथा वादगत खेतो को किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय, बैय, हस्तान्तरण कर खेतो की राशि अकेला ही हजम करने की चेष्ठा में हैं। प्रार्थी कृषि पैशा व्यक्ति है, प्रार्थी के पास वादगत खेतो में अपना हिस्सा काश्त करने के अलावा अन्य कोई आय का जरिया नही है। वादगत खेतो की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम होने के कारण उसका नाजायज फायदा उठाकर वादगत खेतो को विक्रय करने व प्रार्थी को बेदखल करने की चेष्ठा में लगे हुये हैं। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से वादगत खेतो का पैतृक हिस्सा की खातेदारी 1/6 हिस्सा प्रार्थी के नाम करवाने का निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी को धमकी दी कि मैं वादगत खेतो को किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय कर तुम्हे बेदखल कर दूंगा तथा वादगत खेतो में तुम्हे कोई हक व हिस्सा नही दूंगा। प्रार्थी स्व. मनीराम का पौत्र है, प्रार्थी का हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार वादगत खेतो में जन्म से ही हक व हिस्सा निहित हैं । प्रार्थी वादगत खेतो में अपने 1/6 हिस्सा की खातेदारी की घोषणा करवाने का अधिकारी हैं। प्रार्थी का वादगत खेतो में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के मुताबिक 1/6 हिस्सा कानूनन बनता है । अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 04.04.2024 को प्रार्थी को हिस्सा देने से स्पष्ट इन्कार कर दिया तथा प्रार्थी को ऐलानियां धमकियां दी कि मैं तुम्हे तुम्हारे हिस्सा भूमि से बेदखल कर वादगत खेतो को किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय कर दूंगा तथा वादगत खेतो में तुम्हे प्रवेश नही करने दूंगा। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी का निवेदन मानने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही बचा हैं। प्रार्थी का वादगत खेतो में जन्म से ही 1/6 हिस्सा भूमि बनता है । जिस पर वादी का ही कब्जा, काश्त उपयोग व उपभोग चला आ रहा हैं । प्रार्थी कृषि पैशा व्यक्ति है, प्रार्थी के वादगत खेतो के अलावा आय का अन्य कोई जरिया नही हैं। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा संतुलन का सिद्वान्त प्रार्थी के पक्ष में बनता हैं । अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 04.04.2024 को वादगत खेतो में 1/6 हिस्सा प्रार्थी के नाम से करवाने से स्पष्ट इन्कार कर दिया तथा वादगत खेतो को अजनबी व्यक्ति को विक्रय कर प्रार्थी को बेदखल करने की धमकी दी हैं तथा वादगत खेतो का विभाजन करवाने से भी इन्कार कर दिया। ऐसी स्थिति में अप्र[illegible]पने मंशुबो में सफल हो गये तो प्रार्थी का ना पुरा होने वाला नुकसा[illegible]य क्षति का सिद्वान्त प्रार्थी के पक्ष में बनता हैं। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई नि[illegible]ज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.06.20 11:46:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

श्रीमानजी से निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावें कि वो वादगत खेत खसरा नम्बर 1506/215 तादादी 3.1500 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 1508/861 तादादी 1.6200 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 1510/862 तादादी 3.700 हैक्टेयर वाकेरोही बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर से प्रार्थी को बेदखल नही करें, ना किसी से करावे, प्रार्थी के कब्जा, काश्त उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न न करें, वादगत खेतो को किसी अन्य को विक्रय, बैय, हस्तान्तरण नही करें व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा ऐसा कोई कृत्य अथवा अकृत्य नही करें जिससे वादी के वैद अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता हो ।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1, जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर तादावा फैसला मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखें जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि खसरा नम्बर 1506/215 की तादादी 3,1500 हैक्टेयर गलत लिखी हुई है, जबकि खेत खसरा नम्बर 1506/215 की तादादी 3.1400 हैक्टेयर खातेदारी में अंकित है। प्रार्थना पत्र की मद 3 में वर्णित खसरान भूमि गांव बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित होने का तथ्य तथा प्रार्थी व मुझ अप्रार्थी के पैतृक खातेदारी के खेत होने के तथ्य स्वीकार है, शेष तथ्य प्रार्थी द्वारा गलत अंकित होने से स्वीकार नहीं व इन्कार किये जाते है, क्योकि वादगत खेतो में प्रार्थी का कोई कब्जा, काश्त उपयोग–उपभोग नहीं है। प्रार्थी अपने पिता यानि मुझ अप्रार्थी संख्या 1 मामराज से अलग रहता है। मैं अप्रार्थी संख्या 1 मामराज अपने पुत्र रूपाराम के साथ रहता हूं। मुझ अप्रार्थी संख्या 1 का समस्त खर्चा रूपाराम द्वारा वहन किया जाता है। इस मद में भी खसरा नम्बर 1506/215 की तादादी 3.1500 हैक्टेयर गलत अंकित की गई है, जबकि उक्त खसरे की तादादी 3.1400 हैक्टेयर खातेदारी में अंकित है। प्रार्थना पत्र की पद संख्या 4 में वर्णित तथ्य आंशिक रूप से अस्वीकार है। मैं अप्रार्थी संख्या 1 अपने पुत्र रूपाराम के साथ ही रहता हूं, मेरी पुत्रियों की शादी हो चुकी है, जो अपने–अपने ससुराल में रहती है। समय–समय पर अपने पीहर ग्राम बिग्गा में आती–जाती रहती है। प्रार्थी रूघाराम मुझ अप्रार्थी से अलग रहता है, जिसका खान–पान, रहन–सहन व लेना–देना मुझ अप्रार्थी से अलग है। मुझ अप्रार्थी संख्या 1 ने खसरा नम्बर 1510/862 तादादी 3.7000 हैक्टेयर में कृषि ट्यूबवैल बना रखा है व उक्त खेत पर एक्सिस बैंक शाखा श्रीडूंगरगढ से ऋण भी ले रखा है, उक्त खसरा भूमि पर मुझ अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से विधुत कनेक्शन भी लगा हुआ है, जिसके बिल का भुगतान भी मुझ अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा ही किया जाता है। बैंक से लिये गये ऋण का भुगतान भी मुझ अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा किया जाता रहा है। प्रार्थी द्वारा महज मुझ अप्रार्थी को तंग व परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र बिल्कुल ही झूठे तथ्यो के आधार पर पेश किया है, जो काबिल खारिज के है । वादगत खेतो में मुझ अप्रार्थी की पुत्रियों का भी 1/6–1/6 हिस्सा है, जो रूप से बराबर–बराबर

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.06.20 11:46:25 IST
Reason: SelfAttested

खण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

बनता है । मुझ अप्रार्थी का भी 1/6 हिस्सा बनता है । मैं अप्रार्थी संख्या 1 वृद्ध नहीं हूं, मुझ अप्रार्थी की सोचने व समझने की शक्ति भी एकदम अच्छी है, मैं अप्रार्थी कृषि खेतो में बराबर कृषि कार्य करता हूं, मुझ अप्रार्थी का स्वास्थ्य भी अच्छा है। मुझ अप्रार्थी के नाम वादगत खेतो की खातेदारी है, इसलिये वादगत खेतो पर मुझ अप्रार्थी ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से एक्सिस बैंक शाखा श्रीडूंगरगढ़ से कृषि ऋण लिया गया था, उस ऋण की राशि मुझ अप्रार्थी ने कृषि ट्यूबवैल बनाने में व खेतो को उपजाऊ व काश्त आदि के विकास कार्य हेतु खर्च किये थे, किसी राजूराम ने ऋण की राशि किसी भी प्रकार से हड़प नहीं की थी, किसी राजूराम ने मुझ अप्रार्थी को किसी भी प्रकार से प्रभाव में नहीं ले रखा है। प्रार्थी किस राजूराम की बात कर रहा मैं अप्रार्थी उक्त राजूराम को जानता तक नही हूं। दो–तीन सालो से कृषि ट्यूबवैल में पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं आने से फसल अच्छी नही हुई व परिवार की आर्थिक स्थिति भी काफी कमजोर हो गई थी, क्योकि मुझ अप्रार्थी की पुत्रियां भी अपने ससुराल से पीहर आती है तो मुझ अप्रार्थी के पास ही रूकती है, जिनका सारा खर्चा मुझ अप्रार्थी व मेरे पुत्र रूपाराम द्वारा ही वहन किया जाता है। प्रार्थी का बिल्कुल ही खर्चा नहीं लगता है, प्रार्थी अपने पारिवारिक कृतव्यों का भी पालन नहीं कर रहा है । मुझ अप्रार्थी ने वादगत खेतो को विक्रय आदि करने की कभी भी चेष्ठा नहीं की है। बैंक ऋण के रुपये मुझ अप्रार्थी द्वारा मजबूरीवंश समय पर जमा नहीं करवाने पर वादगत खेतो के ऋण वसूली की कार्यवाही बैंक द्वारा शुरू की गई, जिसमें खेतो को कुर्क करके ऋण की राशि वसूल करने हेतु कार्यवाही शुरू हो गई, जिस पर मुझ अप्रार्थी व मेरे पुत्र रूपाराम द्वारा बैंक से समझौता किया गया, जिसमें समझौते के तहत कुल 13 लाख 50 हजार रुपये दिनांक 30.05.2024 तक जमा करवाना तय किया गया। मुझ अप्रार्थी द्वारा समझौते के मुताबिक दिनांक 28.03.2024 को ऋण खाते में 50,000/– रुपये जमा करवाये, दिनांक 29.03.2024 को 3,50,000/– रुपये जमा करवाये गये व दिनांक 25.04.2024 को 4,00,000/– रुपये जमा करवाये गये, इस प्रकार से मुझ अप्रार्थी ने कुल 8,00,000/– रुपये बैंक खाता में जमा करवा दिये, शेष 5,50,000/– रुपये मुझ अप्रार्थी द्वारा समझौते के मुताबिक दिनांक 30.05.2024 तक जमा करवाये जाने है, इस बात का पता प्रार्थी को लगने पर प्रार्थी ने बिल्कुल ही गलत तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत किया है व स्थगन आदेश प्राप्त किया है ताकि मैं अप्रार्थी शेष रुपये बैंक शाखा यहां जमा नहीं करवा सकूं, प्रार्थी की नियत में खोट आ गया है, जबकि मैं अप्रार्थी वादगत खेतो को कैसे न कैसे कुर्क होने से बचाना चाह रहा हूं, जितने रुपये जमा करवाये है, वह सारे रुपये मुझ अप्रार्थी व मेरे पुत्र रूपाराम ने इधर–उधर से व्यवस्था करके जमा करवाये है, जबकि प्रार्थी ने एक भी रुपया जमा करवाने हेतु नहीं दिया है, उसके बावजूद भी प्रार्थी गलत रूप से वादगत खेतो में 1/6 हिस्से का क्लेम कर रहा है । मुझ अप्रार्थी ने किसी भी प्रकार से वादगत खेतो से नाजायज फायदा नहीं उठाया है, बल्कि अपने पूरे परिवार का लालन–पालन इन्ही कृषि खेतो से करता आया है, लेकिन इस बात की प्रार्थी को कोई परवाह नहीं है, महज मुझ अप्रार्थी को तंग व परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो के आधार पर पेश किया है, जो किसी भी सूरत में चलने योग्य नहीं है व खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी ने मुझ अप्रार्थी से कभी भी किसी भी प्रकार से कोई निवेदन नहीं किया है तथा मुझ अप्रार्थी ने प्रार्थी को कभी भी किसी भी प्रकार की कोई धमकी नहीं दी। प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी को [illegible] खेतो में किसी भी प्रकार की घोषणा करवाने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। [illegible] अप्रार्थी से दिनांक 04.04.2024 को प्रार्थी की कोई मुलाकात नहीं हुई, इसलिये उक्त दिनांक को मुझ अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.06.20 11:46:25 IST
Reason: SelfAttested

खण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

किसी भी प्रकार की कोई ऐलानियां धमकियां देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, जब मुझ अप्रार्थी की प्रार्थी से कोई मुलाकात ही नहीं हुई तो प्रार्थी के किसी भी प्रकार के निवेदन को मानने से इन्कार करने का तथ्य अपने आप में बेबुनियाद व झूठा है। प्रार्थी को मुझ अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष का प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योकि वादगत खेतो में प्रार्थी का कोई कब्जा, काश्त व उपयोग–उपभोग नहीं है, कब्जा के अभाव में प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है व खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी का वादगत खेतो पर किसी भी प्रकार से कोई कब्जा, काश्त व उपयोग–उपभोग नहीं चला आ रहा है व ना ही मुझ अप्रार्थी की प्रार्थी से दिनांक 04.04.2024 को कोई मुलाकात नहीं हुई, ऐसी स्थिति में उक्त दिनांक को मुझ अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई इन्कार करने का व किसी भी प्रकार की कोई धमकी देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिये प्रार्थी का कतई प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं बनता है व ना सुविधा संतुलन का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में है व ना ही प्रार्थी को कोई अपूरणीय क्षति हो रही है। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र महज मुझ अप्रार्थी को तंग व परेशान करने की नियत से पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। मुझ अप्रार्थी के नाम वादगत खेतो की खातेदारी है, इसलिये वादगत खेतो पर मुझ अप्रार्थी ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से एक्सिस बैंक शाखा श्रीडूंगरगढ़ से कृषि ऋण लिया गया था, उस ऋण की राशि मुझ अप्रार्थी ने कृषि ट्यूबवैल बनाने में व खेतो को उपजाऊ व काश्त आदि के विकास कार्य हेतु खर्च किये थे। दो–तीन सालो से कृषि ट्यूबवैल में पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं आने से फसल अच्छी नही हुई व परिवार की आर्थिक स्थिति भी काफी कमजोर हो गई थी, क्योकि मुझ अप्रार्थी की पुत्रियां भी अपने ससुराल से पीहर आती है तो मुझ अप्रार्थी के पास ही रूकती है, जिनका सारा खर्चा मुझ अप्रार्थी व मेरे पुत्र रूपाराम द्वारा ही वहन किया जाता है। प्रार्थी का बिल्कुल ही खर्चा नहीं लगता है, प्रार्थी अपने पारिवारिक कृतव्यों का भी पालन नहीं कर रहा है। बैंक ऋण के रुपये मुझ अप्रार्थी द्वारा मजबूरीवंश समय पर जमा नहीं करवाने पर वादगत खेतो के ऋण वसूली की कार्यवाही बैंक द्वारा शुरू की गई, जिसमें खेतो को कुर्क करके ऋण की राशि वसूल करने हेतु कार्यवाही शुरू हो गई, जिस पर मुझ अप्रार्थी व मेरे पुत्र रूपाराम द्वारा बैंक से समझौता किया गया, जिसमें समझौते के तहत कुल 13 लाख 50 हजार रुपये दिनांक 30.05.2024 तक जमा करवाना तय किया गया। मुझ अप्रार्थी द्वारा समझौते के मुताविक दिनांक 28.03.2024 को ऋण खाते में 50,000/– रुपये जमा करवाये, दिनांक 29.03.2024 को 3,50,000/– रुपये जमा करवाये गये व दिनांक 25.04.2024 को 4,00,000/– रुपये जमा करवाये गये, इस प्रकार से मुझ अप्रार्थी ने कुल 8,00,000/– रुपये बैंक खाता में जमा करवा दिये, शेष 5,50,000/– रुपये मुझ अप्रार्थी द्वारा समझौते के मुताबिक दिनांक 30.05.2024 तक जमा करवाये जाने है, इस बात का पता प्रार्थी को लगने पर प्रार्थी ने बिल्कुल ही गलत तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान्‌जी के समक्ष प्रस्तुत किया है व स्थगन आदेश प्राप्त किया है ताकि मैं अप्रार्थी शेष रुपये बैंक शाखा यहां जमा नहीं करवा सकूं, प्रार्थी की नियत में खोट आ गया है, जबकि मैं अप्रार्थी वादगत खेतो को कैसे न कैसे कुर्क होने से बचाना चाह रहा हूं, जितने रुपये जमा करवाये है, वह सारे रुपये मुझ अप्रार्थी व मेरे पुत्र रूपाराम ने इधर–उधर से व्यवस्था करके जमा करवाये है, जबकि प्रार्थी ने एक भी रुपया जमा करवाने हेतु नहीं दिया है, उसके बावजूद भी प्रार्थी गलत रूप से वादगत खेतो में 1/6 हिस्से का क्लेम कर रहा है। मुझ अप्रार्थी [illegible] भी प्रकार से वादगत खेतो से नाजायज फायदा नहीं उठाया है, बल्कि [illegible] पालन इन्ही कृषि खेतो से करता आया हूं, लेकिन इस बात की प्रार्थी को [illegible] परवाह नहीं है, महज मुझ

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.06.20 11:46:25 IST
Reason: SelfAttested

खण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

अप्रार्थी को तंग व परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो के आधार पर पेश किया है, जो किसी भी सूरत में चलने योग्य नहीं है व खारिज किये जाने योग्य है । प्रार्थी अपने पारिवारिक कृतव्यों का व सामाजिक कृतव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है, इसलिये प्रार्थी वादगत खेतो में 1/6 हिस्सा भूमि मुझ अप्रार्थी के जीवनकाल में प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थी द्वारा मुझ अप्रार्थी को भी कोई मदद या सहारा नहीं दिया जा रहा है, इसके बावजूद भी प्रार्थी गलत रूप से वादगत खेतो में 1/6 हिस्सा गलत रूप से मांग रहा है, जिसको प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी नहीं है। मुझ अप्रार्थी की आजीविका का एकमात्र साधन वादगत कृषि भूमि है, जिनको काश्त करके मैं अप्रार्थी अपना व अपने परिवार का भली-भांति पालन कर रहा हूं व पारिवारिक व सामाजिक कृतव्यों का निर्वहन कर रहा हूं, जबकि प्रार्थी बिल्कुल ही गलत रूप से वादगत खेतो में 1/6 हिस्सा का क्लेम कर रहा है, जबकि वादगत खेतो में प्रार्थी का कोई कब्जा, काश्त भी नहीं है, इसलिये प्रार्थी वादगत खेतो के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत व झूठे तथ्यो पर आधारित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। विवादित कृषि भूमि खेत खसरा नंबर 1506/215 तादादी 3.1500 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 1508/861 तादादी 1.6200 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 1510/862 तादादी 3.700 हैक्टेयर वाकेरोही बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि है। जिसका निर्धारण मूलवाद में किया जाना है, दौराने वाद यदि अराजी को खुर्द-बुर्द कर दिया जाता है तो पक्षकारों के मध्य वाद बाहुल्यता बढेगी। अन्तरिम आदेश यदि पारित नहीं किया गया तो वाद बाहुल्यता की संभावना है। अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रयोजन विवाद की विषय वस्तु को अधिकारों के संबंध में निर्णय होने तक वर्तमान स्थिति में बनायें रखना है। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में बनना साबित होता है। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उभयपक्षकारान तादावा फैसला मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखें।

आदेश आज दिनांक 16.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.06.20 11:46:25 IST
Reason: SelfAttested